

पत्रसंख्या-सी०सी०टी० / निरी०अनु० / (2019-20) / 940 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, 30 प्र० लखनऊ
(निरीक्षण अनुभाग)


लखनऊ :: दिनांक :: 23 जनवरी 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-सी०सी०टी०/ निरी०अनु०/ (2019-20) / 1920006 / 54 वाणिज्य कर दिनांक 11-04-2019 का संदर्भ लें, जिसमें वर्ष 2016-17 के नियमित कर निर्धारण वादों का निस्तारण करने की अपेक्षा दिनांक 31-10-2019 तक की गयी थी, लेकिन ऑनलाइन निस्तारण की डाटा की समीक्षा पर यह प्रदर्शित हो रहा है कि अभी काफी संख्या में वाद निस्तारित किया जाना अवशेष है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016-17 के वादों का कर निर्धारण प्रत्येक दशा में कालबाधन तिथि 31-03-2020 तक पूर्ण करें । अब कोई भी वाद मुख्यालय स्तर से ट्रान्सफर नहीं होगा । अतः विधि अनुसार निर्धारित समय सीमा में कालबाधित वादों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।


(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।